(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector New Tehri**

No-5726-07(2017-18) Dated-17/11/017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Complinance Of The Ministry Of Environment And Forests (MOEF), Government Of India's Letter No 11-9/98-FC(Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moef Issued Guidelines On Submission Of Evidences For Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition Of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5th February 2013 Wherein Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects, It Is Certified That 0.140 Hectares Of Forest Land Proposed To Be Diverted In Favour Of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri For The Construction Of badshahithaul to saundkoti lamkot (8.875 Km) In Tehri District Falls Within Jurisdiction Of saundkoti,kemwalgaon and lamkot Village In New Tehri Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.815 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

**(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; **

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: - As above.

(सोनिका)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector New Tehri**

No 52/26-07(2017-18) **Dated** - 17/11/017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.815 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri for the Construction of badshahithaul to saundkoti lamkot (8.875 Km) In Tehri District Falls Within Jurisdiction Of saundkoti,kemwalgaon and lamkot Village In New Tehri Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.815 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chaura-Golthi villages(s) is enclosed as annexure........To annexure......

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

(सोनिका)

Signature जिला अधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector) टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A Meeting Of The District Level Committee Of Tehri Garhwal District Constituted Under FRA. 2006 Was Held Under the Chairmanship of Mr .(सोनिका)..... I.A.S District Magistrate, New Terhi On Dated 17-11-17... At Time 15:00.....At New Terhi In Which Application Claiming Rights In Measuring Area 0.815 Hect For The Construction Of Village Kemwalgaon, Lamkot Motor road From Badshahithaul to Saundkoti Lamkot Motor Road Forest Land Under FRA. 2006 Of The Following Applicant Duly Processed And Recommended By The Sub Division Level Committee Of New Tehri Sub Division Were Discussed To Consider The Same For Admission By The District Level Committee.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place;.NEW TEHRI

Dated:.17-11-2017

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Badshahithaul to Saundkoti Lamkot Motor Road (Length- 8.875Km. (Forest Proposal Prepared For the Length Of 2.650 km)) regarding FRA is as following- (Meeting date ...17-11-2017.........)

Sr. No.		Remarks
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.815 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure ....3..........	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Fores Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य
(श्रीमती रागिनी भट्ट)
सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र बागी
एवं जिला नियोजन समिति
वि०ख० चम्बा, टि०ग०

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोंदकोटी–लामकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नई टिहरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नई टिहरी

उपखण्ड चम्बा परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद नईटिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोन्दकोटी लामकोट मोटर मार्ग (0.140 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.675 हे0 सिविल एवं सोयम 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.815 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नईटिहरी) की दिनांक 18/8/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी.एस. चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री सी.एस. चौहान उपजिलाधिकारी टिहरी	अध्यक्ष	
श्री वी. के. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
श्री राजेन्द्र सिंह राणा सहायक समाज कल्याण	सदस्य/सचिव	
श्री सुन्दर सिंह राणा बी0डी0सी0	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोन्दकोटी लामकोट मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.815 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नईटिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नईटिहरी परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोन्दकोटी लामकोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.815 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– टिहरी,
जनपद– टिहरी गढ़वाल,

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, नईटिहरी . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उप जिलाधिकारी,
जनपद– टिहरी,
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
टिहरी

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोंदकोटी—लामकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम केमवालगॉव
नईटिहरी , जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी** के अर्न्तगत **जनपद टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में** बादशाहीथौल से सोंदकोटी—लामकोट परियोजना के निर्माण हेतु (0.140 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.675 हे0 सिविल एवं सोयम, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.53 हे0 नाप भूमि अर्थात कुल 2.345 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत केमवालगॉव **लामकोट** द्वारा दिनांक 26.01.17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **केमवालगॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित
विकास खण्ड-चम्बा, टिहरी गढ़वाल

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
टिहरी

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत केमवाल गाँव
हस्ताक्षर
दिनांक 26.01.17
वि0 खं0 चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

प्रपत्र 30.5

दिनांक 26.01.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत केमवालगॉव एवं लामकोट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
2	श्री बीर सिंह	बीर सिंह
3	श्री सत्येन्द्र सिंह	सत्येन्द्र
4	श्री रघुवीर सिंह	[illegible]
5	श्री पुष्कर सिंह	[illegible]
6	श्रीमती शैला देवी	[illegible]
7	श्री कुंवर सिंह	[illegible]
8	श्री धर्म सिंह	धर्म सिंह
9	श्री आनन्द सिंह	[illegible]
10	श्री नवीन सिंह	[illegible]
11	श्री देवे सिंह	देवेन्द्र सिंह
12	श्री रोशन सिंह	रोशन सिंह
13	श्री हिकमत सिंह	हिकमत सिंह
14	श्री सुरेश दास	सुरेश दास
15	श्री जमन सिंह	[illegible]
16	" धीरेन्द्र सिंह	धीरेन्द्र सिंह
17	श्री कुंवर सिंह रावत	[illegible]
18	श्रीमती दुर्गा देवी	दुर्गा

प्रधान ग्राम प… केमवाल गांव
ग्राम प्रधान
दिनांक 26.01.17
ग्रा० पं० … टिहरी गढ़वाल